



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228074
CG-DL-E-02072021-228074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2472]
No. 2472]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का. आ. 2669 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3953(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2019, भारत के राजपत्र सं० 3561 तारीख 31 अक्तूबर, 2019, में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “पारादीप-हल्द्वीया- दुर्गापुर पाइपलाइन का संवर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” पारियोजना हेतु जिला लखीसराय के अंचल-सूर्यगढा,पिपरिया,लखीसराय तथा बड़हिया में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 28,दिसम्बर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकार, बरौनी, बिहार (श्री भुवनेश्वर मिश्रा) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के

अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला - लखीसराय		राज्य : बिहार			
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूर्यगढ़ा	भीरहा - 52	743	00	02	79
		811	00	09	71
सूर्यगढ़ा	अमरपुर - 51	513	00	16	25
सूर्यगढ़ा	बुनबुना - 66	326	00	00	20
		375	00	03	29
		390	00	03	88
		413	00	03	21
सूर्यगढ़ा	तेसझा - 39	820	00	00	90
सूर्यगढ़ा	बिसनपुर -86	579	00	01	11
		1007	00	00	71
सूर्यगढ़ा	पोखरामा -11	364	00	01	05
		521	00	02	00
		557	00	00	63
		1290	00	03	49
सूर्यगढ़ा	चक अब्दुल कादिर नैजामत -150	4	00	02	10
सूर्यगढ़ा	चंदनपुरा -161/1	145	00	05	73
पिपरिया	बेलथुआ -148	361	00	00	44
		35	00	01	05
		29	00	01	20
		32	00	00	82
पिपरिया	आनंदपुर -160	463	00	00	95
पिपरिया	जजवारा - 146	79	00	01	37
लखीसराय	गणेशपुर - 11	2	00	15	31
लखीसराय	रेहुआ - 10	1496	00	03	02
		1461	00	00	79
		1460	00	00	94
लखीसराय	सलोनाचक - 12	707	00	05	70
		706	00	02	50

		705	00	02	53
लखीसराय	लोदिया इंगलिश- 201	36	00	17	72
लखीसराय	लोदिया भागलपुर- 199	446	00	01	02
लखीसराय	बालगुदर -134	2272	00	03	56
		2217	00	02	69
		2211	00	01	18
बड़हिया	बहादुरपुर - 195	819	00	12	65
		811	00	07	81
		773	00	20	32
		777	00	07	17
बड़हिया	दरियापुर - 194	797	00	02	69
		813	00	00	64
		881	00	01	69
		882	00	01	01
		883	00	01	84
		945	00	03	76
		946	00	00	83
		409	00	10	02
बड़हिया	डुमरी - 161	3985	00	00	20
		3102	00	06	92

[फा. सं.आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S. O. 2669 (E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3953(E) Dated 25 October, 2019 published in the Gazette of the India Gazette No-3561 dated 31st October, 2019 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline by Indian oil corporation limited in Anchals – Suryagarha, Pipariya, Lakhisarai and Barahiya of Lakhisarai district under “**Augmentation of Paradip–Haldia-Durgapur LPG Pipeline and its Extension up to Patna & Muzaffarpur**” for the transportation of LPG products.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 28 December 2020

And whereas the Competent Authority, Barauni, Bihar (Shri Bhubneshwar Mishra) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest from the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Lakhisarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suryagarha	Bherha – 52	743	00	02	79
		811	00	09	71
Suryagarha	Amarpur – 51	513	00	16	25
Suryagarha	Bunbuna – 66	326	00	00	20
		375	00	03	29
		390	00	03	88
		413	00	03	21
Suryagarha	Tesajha – 39	820	00	00	90
Suryagarha	Bishunpur -86	579	00	01	11
		1007	00	00	71
Suryagarha	Pokhra Wan-11	364	00	01	05
		521	00	02	00
		557	00	00	63
		1290	00	03	49
Suryagarha	Chak Abdul Kadir Nijamat-150	4	00	02	10
Suryagarha	Chandanpur –161/1	145	00	05	73
Pipariya	Belthua-148	361	00	00	44
		35	00	01	05
		29	00	01	20
		32	00	00	82
Pipariya	Anandpur -160	463	00	00	95
Pipariya	Jajwara – 146	79	00	01	37
Lakhisarai	Ganeshpur – 11	2	00	15	31
Lakhisarai	Rahua– 10	1496	00	03	02
		1461	00	00	79
		1460	00	00	94
Lakhisarai	Salona Chak – 12	707	00	05	70
		706	00	02	50
		705	00	02	53

Lakhisarai	Lodia English- 201	36	00	17	72
Lakhisarai	Lodia Bhagalpur- 199	446	00	01	02
Lakhisarai	Balgudar -134	2272	00	03	56
		2217	00	02	69
		2211	00	01	18
Barahiya	Bahadurpur - 195	819	00	12	65
		811	00	07	81
		773	00	20	32
		777	00	07	17
Barahiya	Dariapur - 194	797	00	02	69
		813	00	00	64
		881	00	01	69
		882	00	01	01
		883	00	01	84
		945	00	03	76
		946	00	00	83
		409	00	10	02
Barahiya	Dumari - 161	3985	00	00	20
		3102	00	06	92

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का. आ. 2670 (अ).— केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि 'पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार' परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के अंचल- बरौनी तथा मटीहानी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री भुवनेश्वर मिश्रा, से० नि० अपर सचिव बिहार सरकार व सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिविजन), पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार परियोजना, बरौनी निर्माण कार्यालय, बी० के० पी० एल० मुख्यालय परिसर, पो० बरौनी आयल रिफ़ाइनरी, जिला बेगूसराय, पिन - 851114 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला बेगुसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे/ प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मटीहानी	रामदीरी – 423	391	00	05	01
		398	00	02	92
		203	00	04	17
		199	00	01	30
		436	00	05	04
		399	00	00	93
		1069	00	03	29
		1114	00	01	63
		1128	00	01	88
		414	00	01	30
		286	00	00	43
		285	00	01	27
		431	00	01	12
		1129	00	01	86
मटीहानी	रामदीरी – 423	290	00	00	85
		421	00	05	23
मटीहानी	रामदीरी – 420	11	00	02	57
		10	00	01	21
		7	00	02	17
		8	00	02	67
		13	00	03	24
		477	00	02	27
बरौनी	भभौर– 548	476	00	03	65
		508	00	00	61
		503	00	00	31
		519	00	01	90
	मल्हीपुर-503	888	00	17	83
		886	00	01	29
		884	00	00	72
		885	00	02	56
		882	00	02	00
		881	00	01	42
		880	00	01	30
		879	00	01	30
		878	00	01	30

877	00	02	00
876	00	02	40
875	00	02	20
873	00	01	32
872	00	01	38
870	00	03	20

[फा. सं.आर.- 11025(11)/235/2017-OR-I/ई 13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S. O. 2670 (E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Anchal-Barauni and Matihani, District-Begusarai in the State of Bihar for Proposed “Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur” for the transportation of Petroleum Product;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Bhubneshwar Mishra, Additional Secretary (Retd.), Govt. of Bihar & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipeline Division, Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur Project, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114.

SCHEDULE

District : Begusarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
Matihani	Ramdiri – 423	391	00	05	01
		398	00	02	92
		203	00	04	17
Matihani	Ramdiri – 423	199	00	01	30
		436	00	05	04
		399	00	00	93
		1069	00	03	29
		1114	00	01	63
		1128	00	01	88
		414	00	01	30
		286	00	00	43
		285	00	01	27

		431	00	01	12
		1129	00	01	86
		290	00	00	85
		421	00	05	23
Matihani	Ramdiri – 420	11	00	02	57
		10	00	01	21
		7	00	02	17
		8	00	02	67
		13	00	03	24
Barauni	Bhabhour– 548	477	00	02	27
		476	00	03	65
		508	00	00	61
		503	00	00	31
		519	00	01	90
Barauni	Malhipur– 503	888	00	17	83
		886	00	01	29
		884	00	00	72
		885	00	02	56
		882	00	02	00
		881	00	01	42
		880	00	01	30
		879	00	01	30
		878	00	01	30
		877	00	02	00
		876	00	02	40
		875	00	02	20
Barauni	Malhipur– 503	873	00	01	32
		872	00	01	38
		870	00	03	20

[F.No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.